24/8/22 सुनवाई में प्रार्थना-पत्र बाबत मिसल तलबी व
प्रारूप नोट करने बाबत पेश होने पर पत्रावली
पेश हुई। प्रार्थी वकील हाजिर। प्रार्थिवकील Not press
ने Not Press अंकित कर आदेशिका पर हस्ताक्षर कराये। वादी का वाद नोटिस
प्रेस में खारिज किया जा चुका है अतः
नई प्रारूप के चलने का कोई औचित्य
नहीं। विद्वान प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र
खारिज किया जाता है। पत्रावली तथा
गवाह के बयान की जांच आगामी सुनवाई में